

MSTP/D. No. 1048

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART - II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the ^{10th Feb.} ~~January~~, 2014.

(INCOME-TAX)

S.O..... (E). - Whereas, the Protocol (hereinafter referred to as the said Protocol) amending the convention between the Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital which was signed at London on the 30th October, 2012.

2. And whereas, the date of entry into force of the said protocol amending the Convention is the 27th day of December, 2013, being the date of later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Protocol amending the Convention, in accordance with the provisions of Article X of the said Protocol.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of said Protocol as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 27th day of December, 2013.

Notification No. 10/2014, F.No. 505/3/1986-FTD-I



(Akhilesh Ranjan)
Joint Secretary to the Government of India

MS. 2014
11/27/14

**PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS**

The Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains signed at New Delhi on 25 January 1993 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Sub-paragraph (f) of paragraph 1 of Article 3 shall be deleted and replaced by the following:

“(f) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;”

ARTICLE II

Paragraph 2 of Article 3 shall be deleted. Paragraph 3 shall not be renumbered.

ARTICLE III

Paragraph 1 of Article 4 (Fiscal domicile) shall be deleted and replaced by the following:

“1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature, provided, however, that:

- (a) this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State; and
- (b) in the case of income derived or paid by a partnership, estate, or trust, this term applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.”

ARTICLE IV

Article 11 (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“ARTICLE 11

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends where those dividends are paid out of income (including gains) derived directly or indirectly from immovable property within the meaning of Article 6 by an investment vehicle which distributes most of this income annually and whose income from such immovable property is exempted from tax;
 - (b) 10 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations. The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as any other item which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services), as may be the case, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

6. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment."

ARTICLE V

Article 25 (Partnerships) of the Convention shall be deleted and the subsequent articles shall not be renumbered.

ARTICLE VI

Article 28 (Exchange of information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"ARTICLE 28

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the

Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 of this Convention.

2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE VII

A new Article 28A (Tax Examination Abroad) will be inserted after Article 28 (Exchange of Information) as follows:

“ARTICLE 28A

Tax Examinations Abroad

1. At the request of the competent authority of a Contracting State (the “requesting State”), the competent authority of the other Contracting State (the “requested State”) may allow representatives of the competent authority of the requesting State to enter its territory to interview individuals and examine records with the prior written consent of the persons concerned. The competent authority of the requesting State shall notify the competent authority of the requested State of the time and place of the meeting with the individuals concerned.
2. At the request of the competent authority of the requesting State, the competent authority of the requested State may allow representatives of the competent authority of the requesting State to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the requested State.
3. If the request referred to in paragraph 2 of this Article is acceded to, the competent authority of the requested State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested State conducting the examination.”

ARTICLE VIII

A new Article 28B (Assistance in the Collection of Taxes) will be inserted after new Article 28A (inserted by Article VII of this Amending Protocol) as follows:

“ARTICLE 28B

Assistance in the Collection of Taxes

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims in respect of taxes covered by the Convention. This assistance is not restricted by Article 1. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes covered by this Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. When a Contracting State may, under its law, take interim measures of conservancy by freezing of assets before a revenue claim is raised against a person, the competent authority of the other Contracting State, if requested by the competent authority of the first mentioned State, shall take measures for freezing the assets of that person in that Contracting State in accordance with the provisions of its law.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be:

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
- (b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to carry out measures which would be contrary to public policy;
- (c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”

ARTICLE IX

A new Article 28C shall be inserted after new Article 28B (inserted by Article VIII of this Amending Protocol) as follows:

“ARTICLE 28C

Limitation of Benefits

1. Benefits of this Convention shall not be available to a resident of a Contracting State, or with respect to any transaction undertaken by such a resident,

if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such a resident or of the transaction undertaken by him, was to obtain benefits under this Convention.

2. Where by reason of this Article a resident of a Contracting State is denied the benefits of this Convention in the other Contracting State, the competent authority of that other Contracting State shall notify the competent authority of the first-mentioned Contracting State.”

ARTICLE X


1. Each of the Contracting States shall notify the other, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in both States in the case of taxes withheld at source, in respect of amounts paid on or after the date this Protocol enters into force;
- (b) in India, in respect of taxes levied for fiscal years beginning on or after the date this Protocol enters into force;
- (c) in the United Kingdom:
 - (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April in the calendar year next following that in which this Protocol enters into force;
 - (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April in the calendar year next following that in which this Protocol enters into force;
 - (iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Protocol enters into force.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles VI, VII & VIII of this Protocol shall apply in respect of any matter referred to in these Articles even if such matters pre-date the entry into force of this Protocol or the effective date of any of its provisions.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done on this 30th day of October 2012, in London on two original copies each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.



**For the Government of the Republic of
India**

Dr. Jaimini Bhagwati,
High Commissioner of India to the UK



**For the Government of the
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland**

David Gauke MP,
Exchequer Secretary to the Treasury, UK

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड – 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना


नई दिल्ली, जनवरी, 2014

(आयकर)

- का.आ..... (अ). – जबकि, आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और युनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्थर्न आयरलैण्ड की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल (इसके बाद उक्त प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) पर 30 अक्टूबर, 2012 को लंदन में हस्ताक्षर किये गये थे।
2. और जबकि, अभिसमय को संशोधित करने वाली उक्त प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 27 दिसम्बर, 2013 है जो कि अभिसमय को संशोधित करने वाली उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद X के उपबंधों के अनुसार, इस करार को लागू करने के लिए सभी कानूनी जरूरतों तथा प्रक्रियाओं की संतुष्टि के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।
3. इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 से लागू होंगे।

अधिसूचना सं.

फा.सं. 505/3/1986-एफटीडी-1



(अखिलेश रंजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आय तथा पूंजीगत अभिलाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी ऑयरलैण्ड की सरकार के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी ऑयरलैण्ड की सरकार

दिनांक 25 जनवरी, 1993 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय तथा पूंजीगत अभिलाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी ऑयरलैण्ड की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा जाएगा) में संशोधन करने की इच्छा से;

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1

अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (च) को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(च) व्यष्टि पद में एक व्यक्ति, एक कंपनी, व्यक्तियों का एक निकाय तथा अन्य कोई सत्ता शामिल होती है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है;”

अनुच्छेद II

अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 को हटा दिया जाएगा । पैराग्राफ 3 को पुनः संख्याकित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद III

अनुच्छेद 4 का पैराग्राफ 1 (राजकोषीय घाटा) को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ पद “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत अपने अधिवास, आवास, प्रबंधन के स्थान, निगमन का स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के कारण उसमें कर के लिए दायी है, तथापि बशर्ते कि

- (क) इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो उस राज्य में स्रोतों से केवल आय के संबंध में उस राज्य में कर देने के लिए उत्तरदायी है ।
- (ख) किसी भागीदारी, सम्पदा अथवा न्यास द्वारा प्राप्त की गई अथवा अदा की गई आय के मामले में, यह पद केवल उस सीमा तक लागू होता है कि ऐसी भागीदारी, सम्पदा अथवा न्यास द्वारा प्राप्त की गई आय पर एक निवासी की आय के रूप में उस राज्य में कर लगेगा जो या तो उसके हाथों में अथवा अपने सहभागियों या लाभग्राहियों के हाथों में है।”

अनुच्छेद IV

अभिसमय के अनुच्छेद 11 (लाभांश) को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“अनुच्छेद 11 लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर निम्नलिखित से ज्यादा नहीं होंगे :

(क) लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत जहां उन लाभांशों का भुगतान एक निवेश तंत्र द्वारा अनुच्छेद 6 के अर्थ के भीतर अचल संपत्ति से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई आय (अभिलाभ सहित) से किया जाता है जो इस आय का अधिकांश भाग वार्षिक रूप से वितरित करती है और ऐसी अचल संपत्ति से जिसकी आय पर कर से छूट है.

(ख) सभी अन्य मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 10 प्रतिशत ।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इन सीमाओं के अनुप्रयोग की पद्धति का निर्धारण करेंगे । इस पैराग्राफ के प्रावधान उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेंगे जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, और अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 (कारोबारी लाभ) या अनुच्छेद 15(स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं), जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

6. इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि शेयरों अथवा अन्य अधिकारों जिसके संबंध में लाभांश अदा किया गया है, के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अथवा मुख्य उद्देश्यों में से एक उस सृजन अथवा आबंटन द्वारा इस अनुच्छेद का लाभ उठाना है।"

अनुच्छेद V

अभिसमय का अनुच्छेद 25 (सहभागिता) को हटा दिया जाएगा और परवर्ती अनुच्छेदों का पुनः संख्याकित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद VI

अभिसमय का अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान) हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को लागू करने अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।
2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में उनका निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं । पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे

प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया हो और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करे ।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इस कारण से सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देना कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है अथवा यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद VII

नये अनुच्छेद 28क (विदेश में कर जांच) को निम्नानुसार अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान) के बाद अंतःस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 28क विदेश में कर जांच

1. एक संविदाकारी राज्य (“अनुरोधकर्ता राज्य”) के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य (“अनुरोधित राज्य”) का सक्षम प्राधिकारी संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों का साक्षात्कार करने एवं रिकॉर्डों की जांच हेतु अपने राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुमति दे सकता है। अनुरोधकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों से मिलने के समय एवं स्थान के बारे में सूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित राज्य का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित राज्य के राज्यक्षेत्र में कर जांच के उपयुक्त भाग पर उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

3. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो जांच करने वाले अनुरोधित राज्य का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रतिशीघ्र अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी को जांच के समय एवं स्थान, जांच को पूरा करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोद्दिष्ट कर्मचारी तथा जांच करने के लिए अनुरोधित राज्य द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के बारे में सूचित करेगा। कर जांच शुरू करने के संबंध में सभी निर्णय जांच करने वाले अनुरोधित राज्य द्वारा किए जाएंगे।”

अनुच्छेद VIII

नए अनुच्छेद 28ख (करों की वसूली में सहायता) को निम्नानुसार नए अनुच्छेद 28क के बाद अंतःस्थापित किया जाएगा (इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद VII द्वारा अंतःस्थापित) :

“अनुच्छेद 28ख करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त पद “राजस्व दावा” का तात्पर्य इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में देय राशि से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य लिखत जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थदंड और वसूली की लागत अथवा संरक्षण के प्रतिकूल नहीं है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रवर्तन और वसूली, के लिए प्रयोज्य अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरा अन्य राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे थे, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. जब एक संविदाकारी राज्य, अपने कानून के तहत, किसी व्यक्ति के प्रति राजस्व दावा करने से पहले सम्पत्तियों की फ्रीजिंग द्वारा संरक्षणता के अंतरिम उपाय करे, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, यदि प्रथमोल्लिखित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अनुरोध किया गया हो, अपने कानून के उपबंधों के अनुसार उस संविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति की सम्पत्तियों की फ्रीजिंग के लिए उपाय करेगा।

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाई को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा ।

8. जहां, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और इससे पहले कि दूसरे संविदाकारी राज्य ने संगत राजस्व दावे को वसूल किया हो और प्रथमोल्लिखित राज्य को प्रेषित किया हो, राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

- क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में; प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
- ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है ।

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को आस्थगित अथवा हटा लेगा ।

9. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

- क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति के विपरीत हों;

- ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपात में न हो।”

अनुच्छेद IX

नए अनुच्छेद 28ग को निम्नानुसार नए अनुच्छेद 28ख के बाद अंतःस्थापित किया जाएगा (इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद VIII द्वारा अंतःस्थापित) :

“अनुच्छेद 28ग लाभों का परिसीमन

1. इस अभिसमय के लाभ एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अथवा ऐसे निवासी द्वारा किए गए किसी संव्यवहार के संबंध में प्राप्त नहीं होंगे, यदि ऐसे किसी निवासी के सृजन अथवा सत्ता अथवा उसके द्वारा किए गए संव्यवहार का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन इस अभिसमय के तहत लाभों को प्राप्त करना था।
2. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को इस अनुच्छेद के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में इस अभिसमय के लाभ नहीं मिलते हैं, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।”

अनुच्छेद X

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानून के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को सूचित करेगा। यह प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और उसका निम्न प्रभाव होगा :

- (क) दोनों राज्यों में, स्रोत पर रोके गए करों के मामले में, इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख को अथवा उसके बाद प्रदत्त राशियों के संबंध में;
- (ख) भारत में, इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए लगाए गए करों के संबंध में;
- (ग) यूनाइटेड किंगडम में :
- (i) इस प्रोटोकॉल के लागू होने के कैलेण्डर वर्ष के ठीक बाद के कैलेण्डर वर्ष में 6 अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष हेतु, आयकर एवं पूंजी अभिलाभ कर के संबंध में;
- (ii) इस प्रोटोकॉल के लागू होने के कैलेण्डर वर्ष के ठीक बाद के कैलेण्डर वर्ष में, पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए निगम कर के संबंध में;
- (iii) इस प्रोटोकॉल के लागू होने के कैलेण्डर वर्ष के ठीक बाद के कैलेण्डर वर्ष में, पहली जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी प्रभार्य अवधि के लिए पेट्रोलियम राजस्व कर के संबंध में।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद VI, VII और VIII के उपबंध इन अनुच्छेदों में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में लागू होंगे, भले ही ऐसे मामले इस प्रोटोकॉल के लागू होने से पहले की तारीख के हों अथवा इसके उपबंधों को लागू करने की किसी भी तारीख को हों।

जिसके साक्ष्य में अपने संबंधित सरकारों द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में वर्ष दो हजार बारह के अक्टूबर माह 30 दिन को अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । दोनों पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा ।

जे भगवती

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से
डॉ. जैमिनी भगवती,
यू. के. में भारत के उच्चायुक्त

David Owen

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
एवं उत्तरी आयरलैंड की सरकार
की ओर से
डेविड गौके एमपी,
कोषागार के राजकोष सचिव, यू. के.